बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्र संख्या–4/मुक0–10–37/2016गृ0आ0................../

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
गया।

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग सं0–13 बजट शीर्ष 2049–ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), 60–अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701–विविध, 0003–विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड N2049607010003, विषय शीर्ष 45 01–ब्याज के अंतर्गत निधि का उप आवंटन।**

आदेश :– निदेशानुसार उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अंतर्गत वित्त विभाग के आवंटनादेश सं0–819/वि0, दिनांक 22.08.2016 के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13524/2008 नूतन देवी बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि ₹ 10,35,918 (दस लाख पैतीस हजार नौ सौ अठारह रू0) मात्र की राशि उप आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561/वि (2), दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधान के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

4. आवंटित राशि का व्यय विवरण अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य भेज दें।

5. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), पटना को भी भेजी जा रही है।

ह0/–
(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–4/मुक0–10–37/2016गृ0आ0.......................................पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/अपर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शााखा), बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/जिला पदाधिकारी, गया/श्रीमती नूतन देवी, पति–स्व0 राम विलास सिंह, ग्राम–दर्वेशपुर, पो0–बाड़ी, थाना–कतरीसराय, जिला–नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–4/मुक0–10–37/2016गृ0आ0.........6680.........पटना, दिनांक 24 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :– सरकारी अधिवक्ता सं0–01, श्री अनिल कुमार सिन्हा, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक , गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव